

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष – सोसन सुरीन ।

बनाम


वाद सं० 61/2022

द्वितीय पक्ष –जोलेन बारला बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
02/9/22	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना कुरकुरा के अप्राथमिकी सं० 11/2022 दिनांक 10/06/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) सोसन सुरीन उम्र 50 वर्ष पिता स्व० मसीह सुरीन ग्राम खीजरी कुसुमटोली थाना कुरकुरा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) जोलेन बारला उम्र 50 वर्ष पिता रोयन बारला (2) शांति बारला उम्र 32 वर्ष पति जोलेन बारला दोनो ग्राम खीजरी कुसुमटोली थाना कुरकुरा जिला गुमला के बीच मौजा खीजरी अन्तर्गत खाता सं० 66 प्लॉट सं० 1678 कुल रकबा 0.22 एकड़ जमीन को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्तों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कुरकुरा अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उभय पक्ष न्यायालय के बाहर आपसी समझौता कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उक्त वाद को सुलहनामा कर वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु सुलहनामा दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p>	

लेखापित ।




अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।